इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2013—कार्तिक 17, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. एफ-15-4-2012-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 5 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, लोकायुक्त के परामर्श से, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"8 क. इस नियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो अपनी सम्पूर्ण सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्ति होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्राप्त सुविधा के अतिरिक्त क्रमश: 2 एवं 1 परिचारक की सेवा के रूप में रुपये 5000 प्रति परिचारक प्रतिमाह की दर से परिचारक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2013

क्र. एफ-15-4-2012-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-4-2012-एक-10, दिनांक 8 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

Bhopal, the 8th November 2013

No. F. 15(4)-2012-One-10.—In exercise of the powers conferred by Section 17 read with sub-section (5) of Section 5 of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the Government of Madhya Pradesh, in consultation with the Lokayukt, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Lokayukt and Up-Lokayukt (conditions of service) Rules, 1982, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after the rule 8, the following rule shall be inserted, namely :—

"8-A. After coming into force of this rule, the Lokayukt and Up-Lokayukt who retires after completing the whole period of their service, shall, in addition to the facilities admissible to the Chief Justice and a Judge of the High Court, be eligible to get in the form of service of 2 and 1 attendant respectively at the rate of Rs. 5000/- per attendant per month attendant allowance."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KAUL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.